

प्रेषक,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

- (1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक: 13 दिसम्बर, 2019

विषय:-प्रदेश में 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में नीति निर्धारण ।

महोदय,

शासकीय भवनों के निर्माण कार्यों के संबंध में शासनादेश संख्या-ई-8-303/दस-08-89/2004, दिनांक 02 मार्च, 2006 एवं शासनादेश संख्या-ई-8-304/दस-08-89/2004, दिनांक 02 मार्च, 2006 में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है । यह अनुभव रहा है कि उक्त शासनादेशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के क्रियान्वयन में परियोजना लागत में पुनरीक्षण होने के कारण हो रहे विलम्ब के फलस्वरूप टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

2- उपरोक्त प्रस्तर में उल्लिखित बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से खुली निविदाएँ आमंत्रित करके ई.पी.सी. मोड में कराये जायेंगे। प्रशासकीय विभाग प्रस्तावित भवन निर्माण के लिये भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। शासकीय भवनों के निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार किये जाने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थलीय सर्वेक्षण, तकनीकी परीक्षण, संरचना परिकल्पना, ड्राइंग, निविदा संबंधी अभिलेख आदि तैयार किये जायेंगे। इस हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार आर्किटेक्ट/विशेषज्ञ/कन्सल्टेन्ट की सेवाएँ भी प्राप्त की जा सकेंगी । इन कार्यों पर होने वाले व्यय हेतु लोक निर्माण विभाग को बजट के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

3- राज्य सरकार द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26 अगस्त, 2014 के अनुसार व्यय वित्त समिति द्वारा किया जाता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई डी.पी.आर. सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी। व्यय वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण एवं संस्तुति के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 के प्रस्तर-5 के अनुसार प्रस्ताव पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

4- उत्तर प्रदेश शासन के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त लोक निर्माण विभाग द्वारा ई.पी.सी. मोड में भवन निर्माण हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जायेगी, जिसमें राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की निर्माण एजेन्सियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की तकनीकी रूप से अर्ह (eligible) निर्माण एजेन्सियां प्रतिभाग कर सकेंगी।

5- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। पूर्व में निर्गत सम्बन्धित शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://snasanaadeshn.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 19/2019/बी-2-615(1)/दस-2019, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1 प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- 2 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
- 3 प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश ।
- 4 प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
- 5 वित्त विभाग के समस्त अधिकारी ।
- 6 प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ. प्र., लखनऊ ।
- 7 निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र., लखनऊ ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://snasanaacesn.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।